सं0-121/2015/8092/62-2-2015-2/3(30)/2015

प्रेषक,

भरत लाल राय,
विशेष सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ- दिनांक: 23 सितम्बर,2015

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 के अधीन लेखा शीर्षक-2702-लघु सिंचाई-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-लघु सिंचाई योजना में अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-जी-212/ल0सिं0/बजट-आयोजने0/ 2015-16, दिनांक 03-9-2015 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30-03-2015 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 26-08-2015 में दी गयी व्यवस्था के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में अनुदान सं0-13 के अधीन लेखा शीर्षक-2702-लघु सिंचाई-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-लघु सिंचाई योजना में अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0-4.10 लाख के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि रू0-4.10 लाख (रूपया चार लाख दस हजार मात्र) को राज्यपाल महोदय आपके निस्तारण पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

(1) उक्त समस्त धनराशि के आहरण, व्यय एवं प्रबन्धन में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30-03-2015 में विनिर्ष्टि किये गये समस्त अनुदेशों एवं अन्य सुसंगत वित्तीय नियमों/प्राविधानों/शासनादेशों का अनुपालन अक्षरश: अवश्मेव सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत लघु सिंचाई कार्यक्रम में चालू योजनाओं में अन्य व्यय (अधिष्ठान) की मदों में व्यय हेतु है। अवमुक्त धनराशि को किसी ऐसे मद पर कदापि व्यय न किया जाय, जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल एवं शासन के स्थाई/अस्थाई आदेशों के अन्तर्गत् शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, ऐसा व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति व सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाय तथा व्यय अवमुक्त धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। व्यय में की गयी किसी भी अनियमितता के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होगें।

(3) आपको पुन: स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय कदापि न किया जाय एवं व्यय हेतु समय-समय पर शासन द्वारा मितव्यता संबंधी आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(4) यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाय कि अवमुक्त धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही, सम्पूर्ण, मुख्य, लघु, उप एवं विस्तृत लेखा शीर्षक अंकित किया जाय और प्रत्येक बिल पर ऊपर दाहिनी ओर लाल स्याही से आयोजनागत शब्द अवश्य लिखा जाय अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी। अवमुक्त धनराशि को यथाशीध्र खण्डीय अधिशासी अभियंताओं को आवंटित करते हुए शासन को भी अवगत कराया जाय।

(5) अवमुक्त धनराशि के समक्ष किए गये व्यय निम्नलिखित समय सारणी के अनुसार निर्धारित रूप पत्रों में मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायें जायें।

1- मासिक व्यय विवरण	आगामी माह की 05 तारीख तक
2- प्रारम्भिक व्ययाधिक्य तथा बजत का विवरण	15-10-2015 तक
3- व्ययाधिक्य तथा बजत का अंतिम विवरण	15-12-2015 तक
4- वर्ष 2015-16 के आवंटन का अंतिम लेखा विवरण (पुनर्विनियोग का प्रस्ताव) यदि कोई हो	15-02-2016 तक
5-आवंटन का समर्पण	15-03-2016 तक

नोट:- दिनांक 15-03-2016 के बाद कोई भी समर्पण स्वीकार नही किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- तत्संबंधित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 के अधीन **"लेखा शीर्षक-2702-लघु सिंचाई-आयोजनागत-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-लघु सिंचाई योजना की मद-07-मानदेय "** के सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/ 2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30-03-2015 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 26-08-2015 के क्रम में जारी किये जा रहे है।

भवदीय,
ह0/
(भरत लाल राय)
विशेष सचिव।

सं0-121/2015/8092(1)/62-2-2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) ।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
3- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन।
5- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
6- एन0आई0सी0 की प्रति।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/
(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।